उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय
चतुर्थ/पंचम तल ,इंदिरा भवन ,अशोक मार्ग ,लखनऊ–226001

पत्रांकःएफएस–1076/2017 दिनॉक फरवरी, 6 ,2017

सेवा में,

वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
प्रथम तल वाई.एम.सी.ए. कैम्पस ,13, राना प्रताप मार्ग,
लखनऊ ।

विषयः– मेर्सस अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा भूखण्ड संख्या–01 सेक्टर–एफ, पाकेट–01,सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन का प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में ।

यू0आई0डी0 न0– 2017/27358/एल.के.डब्लू/लखनऊ/2270/जे.डी.

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र दिनॉक 21.01.2017 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रसताावित भवन का प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओ एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ /मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ व प्रभारी उपनिदेशक, फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ द्वारा किया गया, अग्निशमन अधिकारी एस.जी.पी.जी. आई. लखनऊ /मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ व प्रभारी उपनिदेशक, फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ की संस्तुति के अनुसार :–

भवन की संरचनाः–

1– कुल भूखण्ड एरिया 22000.00 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

2– प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवासीय भवन का कुल ग्राउण्ड कवरेज 2723.640 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

3– प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का कुल टिपिकल फ्लोर एरिया 50951.777 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

4– प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के अपर बेसमेंट का कबर्ड एरिया 13087.00 वर्ग मीटर व लोवर बेसमेंट का कबर्ड एरिया 13087.00 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

5– प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अधिकतम् ऊॅचाई 84.950 मीटर तथा क्लब भवन की उॅचाई 12.150 मीटर मानचित्र में अंकित है ।

भवन का अधिभोग एवॅ हेजार्डस श्रेणीः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 में समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– **पहॅुच मार्ग** :–प्रश्नगत भूखण्ड तक पहॅुच मार्ग की चौडाई मानचित्र में 45 मीटर अंकित है ।

2– **प्रवेश/निकास द्वार की चौडाई** :– प्रश्नगत भवन परिसर में प्रवेश व निकास हेतु अलग–अलग गेट प्रस्तावित है ,जिसकी चौडाई 4.50–4.50 मीटर से कम न रखी जाए ।

3– **सेटबैकः–** भवन का सेटबैक निम्नवत हैः–

- अग्रभाग– 15.00 मीटर ।
- पृष्ठ भाग– 15.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम– 15.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग द्वितीय– 15.00 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन विनियामावली के अनुसार है । सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखें जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा,प्रश्नगत भवन के बेसमेंट का जो भाग भवन के प्रोजेक्सन से बाहर है उसके स्लैब का भार वहन क्षमता 45 टन रखा जाना अनिवार्य होगा ।

4— **निकास मार्गः**— प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के प्रत्येक ब्लाक के मानचित्र में 1. 50—1.50 मीटर चौडाई के 02—02 स्टेयरकेश व क्लब भवन में 02.0—02.0 मीटर चौडाई के 02 स्टेयरकेश अंकित है समस्त ब्लाको मे समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम् अनुमनय सीमा के अन्तर्गत है ।

5— **रिफ्यूज एरियाः**—प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में बालकनी का प्राविधान किया गया है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः— एन0बी0सी0—2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण किए जाने अनिवार्य है :—

01— **भूमिगत टैंक** :— प्रश्नगत भवन के मानचित्र में 400 के0एल0 पानी के क्षमता का भूमिगत टैंक अंकित है ।

02— **पम्प** :— भूमिगत टैंक के पास 2850—2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 04 विद्युत चालित पम्प व समकक्ष क्षमता का 02 डीजल चालित पम्प एवं 180 एल.पी.एम. क्षमता का 02 जॉकी पम्प का प्राविधान मानचित्र में किया गया है ।

03— **होजरीलः**—प्रश्नगत भवनों के मानचित्र में होजरील ,लैडिंग वाल्ब आई.एस.—3844 के मानको के अनुसार अंकित है ।

04— **वेटराईजर** :— प्रश्नगत भवनों के मानचित्र में वेटराईजर सिस्टम एन0बी0सी—2005 के मानकों के अनुसार अंकित है ।

05— प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन परिसर में **यार्ड हाईड्रेट** होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज पाईप तथा ब्रांच पाईप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0एस0 13039:1991 के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

06— **हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम** :—प्रश्नगत भवनों के मानचित्र में एन0बी0सी0—2005 के मानको के अनुसार हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का अंकन किया गया है ।

07— **स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टमः**—प्रश्नगत प्रस्तावित भवनों के मानचित्र में स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म (स्मोक/हीट) सिस्टम का अंकन किया गया है ।

08— **स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः**—प्रश्नगत भवन के बेसमेंट सहित समस्त ब्लाकों के समस्त तलों में स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0—2005 के मानको के अनुसार प्राविधान किया जाना मानचित्र में अंकित है । स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरस व अन्डर ग्राउण्ड टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा । बेसमेंट में कम्पार्टमेंटेसन एन0बी0सी0—2005, पार्ट —04 के के प्रस्तर सी—1.8 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा

09— **टैरिस टैंक** :—प्रश्नगत प्रस्तावित भवनों के टैरिस पर टैरिस टैक 25—25 हजार लीटर पानी के क्षमता का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।

10— **टैरिस पम्पः**— प्रश्नगत भवन में आवश्यक नही ।

11— **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर)**:—प्रश्नगत भवनों में फायर एक्सटिंग्यूसर आई0एस0—2190—2010 के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

12— **एक्जिट साईन** :— प्रश्नगत भवनों में एक्जिट साईनेज प्राविधानित किए जाने होगें ।

13– **स्मोक एक्सट्रैक्सन सिस्टमः–**

ए0– फायर चेक डोर की रेटिंग 02एच रखा जाना अनिवार्य है।

बी0– प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्सन सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।

14– **पी0ए0 सिस्टम** :–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा ।

15– प्रश्नगत प्रस्तावित भवनों में **इमरजेंसी /एस्केप लाईटिंग** एन0बी0सी0–2005 पार्ट–04 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

16– भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखनें हेतु एन0बी0सी0–2005, पार्ट–04 के प्रस्तर सी–05,सी–06,सी.–07, सी.–08 व सी.–09 में उल्लिखित मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

17– प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवासीय भवन में एन0बी0सी0–2005, पार्ट–04 , फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रस्तर –सी–10 का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा ।

18– भवन मे एन0बी0सी0–2005,पार्ट–04 के प्रस्तर सी–1.15 के अनुसार एक वैकल्पिक उर्जा श्रोत (जनरेटरसेट) स्थापित कर उसमे भवन की अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट, स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाईटो तथा स्टैड बाई फायर पम्प तथा स्मोक एक्सट्रैक्सन सिस्टम को पृथक लाईन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोडा जाना आवश्यक होगा ।

उपरोक्तानुसार मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–01 सेक्टर–एफ,पाकेट–01, सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाईयों में अग्नि से सुरक्षा संबंधित सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियामावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया–2005 में उल्लिखित मानको व आई0एस0–3844–1989 एवं नवीनतम् संसोधन के अनुसार कराये जायेगें । भवन निमार्ण के दौरान यदि एन0बी0सी0–2005 पार्ट–04 के प्राविधानो में कोई ऐसा संसोधन होता है जो कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो उसको समाहित किया जाना अनिवार्य होगा । भवन के निमार्णोपरान्त, भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाए मानक के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अंतिम अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्नकः मानचित्र

(आर0के0सिंह)
संयुक्त निदेशक
उ0प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय ,लखनऊ,

(आर0 के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक (मु0)
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि

01– उपनिदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ , को सूचनार्थ प्रेषित ।
02– मुख्य अग्निशमन अधिकारी,लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित ।
03– अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ ,को सूचनार्थ प्रेषित ।